



जनपद हमीरपुर

दिनांक-25.11.2022

**प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।**

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 28/10/2014 को थाना मझगवां जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 692/05 धारा-504, 506 आईपीसी व 08 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त धीरेंद्र पुत्र ठाकुर दास निवासी इटकौर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपीगण को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को अ0सं0 धारा-504,506 IPC व 08 पोक्सो एक्ट में अधिकतम 04 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।